छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009

(श्रावण-5, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 03 से 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 1 पर श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य की अनुपस्थिति में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य अधिकृत थे। प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री रामपुकार सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित प्रश्न एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

(1) तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 09 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 एवं

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (क्रमांक 20 सन् 1887) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक संकलित ऑडिट रिपोर्ट, पालन प्रतिवेदन (उत्तर), प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 2007-2008 पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने शिवरीनारायण मेला हेतु शासन से आर्थिक सहयोग न मिलने की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य (अनुपस्थित) सूचना प्रस्तुत नहीं हुई.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना संबंधी,

(2) डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य ने बिलासपुर के विकासखंड मस्तूरी के ग्राम चौहा बांध के डूबान से रबी व खरीफ की फसल नहीं होने से कृषकों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या होने,

(3) श्री महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र का मुख्य सड़क हसौद से बाराद्वार तक का निर्माण कार्य बंद होने एवं

(4) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम-बैंगाकापा में हाई स्कूल का निर्माण कार्य अधूरा होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. वक्तव्य

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने दिनांक 26.07.2009 को जिला दंतेवाड़ा के थाना बारसूर अंतर्गत नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट से पुलिस जवानों की मौत होने व घायल होने के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

7. सदन को सूचना

माननीय सभापति द्वारा सदन को सूचित किया गया कि- आज दिनांक 27 जुलाई, 2009 को दोपहर 1.30 बजे वन विभाग द्वारा वन महोत्सव, 2009 का आयोजन विधान सभा परिसर के सामने स्थित वन डिपो, बरौदा में किया गया है। वन महोत्सव में समस्त माननीय मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं सदस्य गण वृक्षारोपण हेतु सादर आमंत्रित हैं।

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मापदण्डों का पालन न करने के कारण पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री गुरु रूद्रकुमार, विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह, डॉ.शक्राजीत नायक, डॉ.हरिदास भारद्वाज (जारी)

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

9. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री रामदयाल उईके, टी.एस.सिंहदेव, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) प्रदेश में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्रीमती लक्ष्मी बघेल, डॉ.शक्राजीत नायक,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री दयाल दास बघेल, अमरजीत भगत, फूलचंद सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री दीपक कुमार पटेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, टी.एस.सिंहदेव, देवेन्द्र बहादुर सिंह,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री शिवराज सिंह उसारे।

(अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से राजस्व मंत्री के उत्तर पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 (श्रावण 6, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा